न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
पीठासीन - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

दावा संख्या - 176/2018

उनवान - तेजपाल बनाम कैलाश व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 7 नियम 11 सपठित
धारा 151 C.P.C

निर्णय दिनांक - 10/07/2019

प्रार्थी / प्रतिवादी गोपाल, घनश्याम की ओर से अधिवक्ता श्री दीपचन्द महावर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC का पेश किया। जिसमें अंकित किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 11/3/2019 नियत है।

उपरोक्त उनवानी प्रकरण के दावे की विषय वस्तु के सम्बन्ध में एक दावा सायर बनाम जगदीश वगैरह मुकदमा नम्बर 80/12 दायर किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 9/10/2017 को निर्णित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहाँ जगदीश वगैरह बनाम सायर अपील संख्या - 1016/2017 के नाम से प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थीगण की अपील को स्वीकार फरमाते हुऐ माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28/01/2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09/10/2017 उनवान सायर बनाम जगदीश को अपास्त कर दिया।

अप्रार्थी / वादी ने न्यायालय को गुमराह में रखते हुऐ, तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रकरण न्यायालय में पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनन अधिकार नहीं था।

P.T.O →

उक्त तीनो प्रकरण में समान पक्षकार है तथा वाद की विषय वस्तु भी समान है

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में निर्णय पारित कर दिया गया है तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके सम्बन्ध में पुनः विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C को स्वीकार कर वाद को खारिज किया जावे।

अप्रार्थी/वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया (प्रार्थना पत्र के मद स० 1 स्वीकार किया। मद स० 2 में जिस प्रकार वर्णित किया है अस्वीकार है। राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष जगदीश बनाम सायर की अपील का निस्तारण होने से पूर्व ही उक्त वाद पेश किया गया है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा अपील अधिकारी से अपील का निर्णय दिनांक 28.01.2019 को हुआ है जो निर्णय विधि-विधान व कानून के खिलाफ किया गया निर्णय है जिसकी अपील राजस्व मण्डल के समक्ष विधिवत रूप से कर दी गई है। इस प्रकार राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं हुआ है उक्त विधि विरुद्ध निर्णय की आड़ में प्रतिवादीगण उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद खारिज करवाकर भूमि पर कब्जा लेना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। कानूनन विधि व तथ्यों के मिश्रित प्रश्न के लिये जवाब दावा लिया जाकर तनकी व साक्ष्य के उपरान्त किये जाने की विधि का प्रावधान है प्रिमैच्योर स्टेज पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र के मद स० 3, व 4, 5, 6 को अस्वीकार किया है मद स० 7 में प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

इसके साथ ही अतिरिक्त कथन पेश किये जिसमें अंकित किया कि प्रतिवादीगण ने जो आपत्तिया प्रस्तुत की गई है वह कथन जवाब दावा में उठाने योग्य है जिसके वाद में तनकी व

P.T.O

साक्ष्य के आधार पर वाद को निर्णय किया जाना न्यायोचित है।

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता गण की बहस प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC पर सुनी गई।

प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुऐ कहा कि उक्त प्रकरण तथ्यों को छुपाकर पेश किया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय ने निर्णय पारित पूर्व में कर दिया। जिसकी अपील होने पर राजस्व अपील अधिकारी ने माननीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है जिसमें कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है विधि विरुद्ध होने से धारा 188 के तहत सहखातेदारो को पाबन्द नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC को स्वीकार कर वाद को खारिज किया जावे।

अप्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुऐ कहा कि उक्त प्रकरण अपीलीय अधिकारी के निर्णय से पूर्व प्रस्तुत किया है। राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर दी गई है जो विचाराधीन है उक्त वाद मे प्रार्थी प्रतिवादीगण से जवाब लिया जाकर प्रकरण में तनकी कायम कर, साक्ष्य लेकर के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। इसलिये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अंतिम निर्णय होने तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता गण की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सहखातेदारों की संयुक्त भूमि है जिसका विधिवत रूप से बटवारा नहीं हुआ है वादी ने वाद धारा 188 Rev. Act के तहत पेश किया है जिसके तहत सहखातेदारों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा

(5)

तथा उक्त भूमि से सम्बन्धित वाद न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन है। वाद विधि विरुद्ध होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC के स्वीकार किया जाता है तथा वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद अति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/7/2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: